102

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2700–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–8–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 277/2014–15/अपील.

1– आजम अली पिता ममशाद अली
2– मंसूर अली पिता ममशाद अली
3– शेराज अली पिता ममशाद अली
4– शाहिद पिता ममशाद अली
निवासीगण मुन्दिपुर
तहसील देपालपुर जिला इंदौर ....आवेदकगण

विरूद्ध

1– साबिर अली पिता ममशाद अली
2– एजाज अली पिता ममशाद अली
निवासीगण मुन्दिपुर
तहसील देपालपुर जिला इंदौर ....अनावेदकगण

श्री टी0टी0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम मुन्दिपुर तहसील देपालपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 152/1 रकबा 1.376 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 152/2 रकबा 1.376 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 210/2 रकबा 0.219 हेक्टेयर के बटवारा हेतु नायब तहसीलदार, देपालपुर जिला इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 192/अ–27/2011–12 दर्ज कर दिनांक 22–11–14 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, देपालपुर जिला इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–7–15 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्थगन की मांग की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–8–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा मनमाना निष्कर्ष निकालते हुए बिना किसी आधार के स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि अनावेदकगण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की आड़ में आवेदकगण के नाम इन्द्राज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा कर अंतरण कर देंगे, जिससे वाद बाहुल्यता बढ़ेगी । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालयों के निर्णय के विपरीत आदेश पारित कर स्थगन आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 देपालपुर द्वारा प्रकरण कमांक 8 ए/16 मे अनावेदकगण के विरूद्ध डिकी पारित की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 4–8–2015 निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 4–7–2015 का प्रवर्तन स्थगित रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से केवल यही आधार उठाया गया है कि आवेदक कमांक 1 आजम अली ने अपने भाईयों से 7 बीघा जमीन खरीदने के आधार पर बटवारे में 7 बीघा जमीन देने हेतु बटवारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जो कि संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के विपरीत था, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के बटवारा आदेश के निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है । यह आधार भी लिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में प्रश्नाधीन भूमि पूर्वानुसार संयुक्त रूप से दर्ज हो दर्ज हो चुकी है, इसलिए

आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वतः निष्फल एवं निरर्थक हो गया है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अनावेदकगण की ओर से लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभय पक्ष के मध्य हुए प्रश्नाधीन भूमि के बटवारे को निरस्त किया गया है, जिससे भूमि पूर्वानुसार संयुक्त स्वामित्व में आ गई है । ऐसी स्थिति में आवेदकगण को अपरिमित क्षति होना परिलक्षित नहीं होता है, अतः अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4—8—2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर